कार्यालय अंचल अधिकारी, बुढ़मू, राँची।

अनुसूची.......फॉर्म सं0–.........

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रांक ....तारीख.............से................. तक ....जिला राँची

केस का प्रकारः– दोहरी जमाबंदी वाद सं०– 06/2023-2024 2023-2024

आदेश और तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर संजय कुमार सिंह, पुंदाग, राँची Vs प्रभु साहु, डड़िया, बुढ़मू।	आदेश पर की गई कारवाई के बारे टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3

इस वाद की कार्यवाही संजय कुमार सिंह पिता– टी॰ एन॰ सिंह निवासी– 2D समृद्धि इनक्लेव, पुंदाग, राँची के द्वारा बुढ़मू अंचल कार्यालय में दिनांक– 10.07.20023 को दिये आवेदन से प्रारंभ हुई। आवेदक द्वारा दिनांक– 10.07.2023 को आवेदन देकर बुढ़मू अंचल अन्तर्गत मौजा– डड़िया, थाना सं॰– 87 के खाता सं॰– 117, प्लॉट सं॰– 817, रकबा– 66 डिसमिल एवं प्लॉट सं॰– 778, रकबा– 21.5 डिसमील, कुल रकबा– 87.5 डिसमील की दोहरी जमाबंदी जो पंजी ॥ के भाग–4 पृष्ठ– 13 में प्रभु साहु, पिता– रूदी साहु के नाम दर्ज है को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालय पत्रांक– 490(ii) दिनांक– 16.08.2023 के आलोक में एवं पत्रांक– 590(ii) दिनांक– 26.10.2023 के आलोक में उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष दिनांक– 02.11.2023 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर अपने–अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये।

आवेदक (प्रथम पक्ष) का कहना है कि बुढ़मू अंचल अन्तर्गत मौजा– डड़िया, खाता सं॰– 117, प्लॉट सं॰– 817 एवं 778 रकबा क्रमशः 66 डिसमील एवं 21.5 डिसमील कुल 87.5 डिसमील भूमि लाल प्रफुल्ल नाथ शाहदेव से खरीदगी है, जिसकी जमाबंदी पंजी ॥ के भाग–3 पृष्ठ– 92 में प्रेम कुमार सिंह व संजय कुमार सिंह, पिता– टी॰एन॰ सिंह और निर्मला सिंह, पति– विनय कुमार सिंह के नाम कायम है। एवं लगान रसीद निर्गत हो रहा है। आवेदक ने अपने दावे के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं –

01. ऑनलाईन आर॰एस॰ खतियान की छायाप्रति।
02. ऑनलाईन पंजी ॥ की छायाप्रति।
03. ऑनलाईन निरंतर खतियान की छायाप्रति।
04. लगान रसीद सं॰– 891429 वर्ष 2008–2009 की छायाप्रति।
05. ऑनलाईन रसीद की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष की ओर से मुकेश कुमार साहु, पिता– प्रभु साहु निवासी डड़िया, बुढ़मू, राँची उपस्थित हुए एवं रजिस्ट्री डीड सं॰– 1998

दिनांक– 16.02.1990 की छायाप्रति प्रस्तुत किये और कहा कि प्रश्नगत् भूमि उनके पिता– प्रभु साहु ने आवेदक (प्रथम पक्ष) से खरीदा है और दाखिल–खारिज कराकर शांतिपूर्ण तरीके से भूमि पर खेती–बारी कर रहे हैं और सरकार को लगान दे रहे हैं।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। उनके द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि –

''प्रश्नगत् भूमि मौजा– डड़िया, खाता सं०– 117, प्लॉट सं०– 778, 817 रकबा क्रमशः 3.60 एकड़ एवं 0.66 एकड़ भूमि आर० एस० खतियान में लाल चन्द्र मोहन नाथ शाहदेव वल्द लाल तीरथ नाथ शाहदेव के नाम दर्ज है। आवेदित भूमि की जमाबंदी पंजी ॥ के भाग–3 पृष्ठ– 92 में प्रेम कुमार सिंह व संजय कुमार सिंह, पिता– टी०एन० सिंह और निर्मला सिंह, पति– विनय कुमार सिंह के नाम दाखिल–खारिज वाद सं०– 133R27/1982–83 के आधार पर दर्ज है। पुनः पंजी ॥ के भाग–4 पृष्ठ– 13 में प्रश्नगत् भूमि प्रभु साहु, पिता– रूदी साहु के नाम केश नं०– 122/96–97 के आधार पर दर्ज है। दखल–कब्जा की स्थिति स्पष्ट नहीं है।''

पंजी ॥ के भाग–4 पृष्ठ– 13 में प्रभु साहु, पिता– रूदी साहु के नाम कायम जमाबंदी दाखिल–खारिज केश नं०– 122/96–97 दर्ज है। दाखिल–खारिज केश नं०– 122/96–97 के अभिलेख की खोज कार्यालय में उपलब्ध कराई गई। परन्तु, अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका। वर्ष 1996–97 के रजिस्टर–27 में वाद सं०– 122/96–97 किसी अन्य मौजा एवं अन्य रैयत से संबंधित पाया गया।

उभय पक्ष द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकन, कार्यालय अभिलेखों के अवलोकन एवं राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि यह एक ही भूमि को दो लोगों के नाम जमाबंदी कायम होने का मामला है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन सी जमाबंदी अवैध। साथ ही यह अधोहस्ताक्षरी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। आवेदक (प्रथम पक्ष) सक्षम न्यायालय में वाद दायर करें।

लेखापित एवं संशोधित।

BOW.
31/01/2024
अंचल अधिकारी,
बुढ़मू राँची।

BOW.
31/01/2024
अंचल अधिकारी,
बुढ़मू राँची।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
बुढ़मू, राँची।

विषय :– दोहरी जमाबंदी के संबंध में स्थल जाँच करने के संबंध में।

महाशय,

प्रश्नगत् भूमि मौजा– डड़िया, खाता सं०– 117, प्लॉट सं०– 778, 817 रकबा क्रमशः 3.60 एकड़ एवं 0.66 एकड़ भूमि आर० एस० खतियान में लाल चन्द्र मोहन नाथ शाहदेव वल्द लाल तीरथ नाथ शाहदेव के नाम दर्ज है। आवेदित भूमि की जमाबंदी पंजी II के भाग–3 पृष्ठ– 92 में प्रेम कुमार सिंह व संजय कुमार सिंह, पिता– टी०एन० सिंह और निर्मला सिंह, पति– विनय कुमार सिंह के नाम दाखिल–खारिज वाद सं०– 133R27/1982–83 के आधार पर दर्ज है। पुनः पंजी II के भाग–4 पृष्ठ– 13 में प्रश्नगत् भूमि प्रभु साहु, पिता– रूदी साहु के नाम केश नं०– 122/96–97 के आधार पर दर्ज है। दखल–कब्जा की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

अतः श्रीमान को स्थल जाँच प्रतिवेदन सूचनार्थ समर्पित।

राजस्व उप निरीक्षक
हल्का सं०–9

अंचल निरीक्षक
बुढ़मू।

Digitally signed by SHANKAR KUMAR VIDYARTHY
Date: 2024.02.08 13:11:21 +05:30
Location: 192.168.148.187